(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 58 / 2022

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री मेघराज प्रजापत उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल जाति प्रजापत (विक्रेता एवं मालिक) निवासी छोटा बाजार कुम्हारो का मोहल्ला, कोयला जिला बारां मैसर्स दीपक किराना स्टोर छोटा बाजा, कुम्हारो का मोहल्ला कोयला जिला बारॉ (राज.)
2. मैसर्स दीपक किराना स्टोर छोटा बाजार कुम्हारो का मोहल्ला कोयला जिला बारॉ (राज.)
3. श्री मंसूर अली पुत्र इब्राहिम अंसारी(मालिक) मैसर्स राजा टी कम्पनी, श्रीराम कॉलोनी वार्ड नं.16 श्योपुर
4. मैसर्स राजा टी कम्पनी, श्रीराम कॉलोनी वार्ड नं.16 श्योपुर (म.प्र.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोविन्द सहाय गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 16.12.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.07.2022 को मैसर्स दीपक किराना स्टोर छोटा बाजार, कुम्हारो का मोहल्ला कोयला जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री मेघराज प्रजापत पुत्र शंकरलाल प्रजापत(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.07.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक /एच/एफएसएसए/(एफ–28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:56:07 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ चाय (राजा) 250 ग्राम मूल पौली पैक के 16 नग लकडी के रैक मे रखी हुई थी। मैं अपना सरकारी पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ चाय (राजा) 250 ग्राम मूल पौली पैक में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (राजा) 250 ग्राम मूल पौली पैक की 08 मूल पौली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत श्री मेघराज प्रजापत पुत्र श्री शंकरलाल प्रजापत (विक्रेता व मालिक) को 640/- रूपये (अक्षरे छः सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ चाय (राजा) 250 ग्राम मूल पौली पैक के 8 मूल पौली पैक को 2-2 के चार भागो मे बाटकर प्रत्येक पर नमूने का विवरण सहित लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1487 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1487 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री मेघराज प्रजापत पुत्र श्री शंकरलाल प्रजापत (विक्रेता व मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/153 दिनांक 20.07.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1052/PHL/Kota/Act/2022/1054 दिनांक 13.07.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ चाय (राजा) 250 ग्राम मूल पौली पैक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 15.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नही किया जाकर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ चाय (राजा) 250 ग्राम पौली पैक को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप(Mis Branded) होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है एवं विक्रेता द्वारा अपने खाद्य कारोबार का धारा 31 (2) के तहत पंजियन कराये बिना खाद्य करोबार कर एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (5) का उल्लघंन किया है जो धारा 58 के तहत जुर्माने से दण्डनीय है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:56:07 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कहा गया कि हम इस प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम रूप से निस्तारण करवाना चाहते है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 छोटा दुकानदार है जो छोटे से गॉव कोयला तहसील जिला बारॉ मे किराने की दुकान लगाता है जिसकी दुकान भी ज्यादा नही चलती है और अप्रार्थी क्रम 3 व 4 की भी छोटी सी राजा टी कम्पनी, श्रीराम कॉलोनी वार्ड नं0 16 श्योपुर (म.प्र.) मे स्थित है, वह भी ज्यादा नही चलती है। अतः अप्रार्थीगण की आर्थिक स्थिति को देखते हुये कम से कम जुर्माना किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई कार्यवाही बन्द की जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 01 यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1052/PHL/Kota/Act/2022/1054 दिनांक 13.07.2022 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी क्रम 01 को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थी क्रम 01 से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ चाय (राजा) 250 ग्राम पौली पैक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1052/PHL/Kota/Act/2022/1054 दिनांक 13.07.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 एवं 58 के तहत अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को 5000/– रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 3 व 4 को 25,000/– रूपये प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 30,000/– रूपये (अक्षरे तीस हजार रूपये) की जुर्माना राशि के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:56:07 IST
Reason: SelfAttested